भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4183

20 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष और टीबी प्रभाग के बीच समझौता ज्ञापन

4183. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश से तपेदिक का उन्मूलन करने के लिए आयुष मंत्रालय और केन्द्रीय टीबी प्रभाग के बीच समन्वय हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) समझौता ज्ञापन से आयुष मंत्रालय को अन्य स्वास्थ्य देखभाल संबंधी अवसंरचना के साथ संपर्क विकसित करने और तपेदिक देखभाल सेवाओं को एकीकृत करने में कितनी सहायता मिली है; और
(घ) सरकार ने तपेदिक और देश से इसके उन्मूलन के प्रति न केवल लोगों को बल्कि आयुष स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को भी किस प्रकार से अभिमुख और संवेदनशील बनाया है?

उत्तर
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ) जी हां, आयुष मंत्रालय और केंद्रीय टीबी प्रभाग के बीच दिनांक 04.07.2019 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसका उद्देश्य सहयोग के निम्नलिखित कार्यक्षेत्र सहित तपेदिक (टीबी) मुक्त भारत से संबंधित बहु-क्षेत्रीय और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए दोनों मंत्रालयों में नीति, कार्यक्रम और कार्यान्वयन स्तरों पर अभिसरण करना था:

• आयुष मंत्रालय से संबद्ध स्वास्थ्य अवसंरचना और संस्थागत नेटवर्क के तहत तपेदिक देखभाल सेवाओं के साथ संपर्क और एकीकरण का विकास;

• संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) दिशानिर्देशों, टीबी निदान एवं उपचार और नवीनतम नीतिगत परिवर्तनों और पहलों के बारे में आयुष सेवा प्रदाताओं सहित विभिन्न समुदायों के बीच जागरूकता पैदा करना और संवेदीकरण करना;

• मॉड्यूलर व्याख्यानों के माध्यम से तपेदिक की रोकथाम, निदान और उपचार पर अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों, प्रशिक्षुओं, स्नातकोत्तर छात्रों, आयुष संकाय का अभिविन्यास और संवेदीकरण और सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) कार्यक्रमों में शामिल करना;

• तपेदिक के शीघ्र निदान के लिए मॉड्यूलर प्रशिक्षणों और सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) के माध्यम से सेवारत और निजी आयुष चिकित्सकों का क्षमता निर्माण, रोगियों के रेफरल में सुधार और सामुदायिक डायरेक्टली ऑब्जर्वर्ड थेरेपी (डीओटी) प्रदाताओं के रूप में उनकी भागीदारी और तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में भागीदारी।

• तपेदिक नियंत्रण और प्रबंधन के लिए साक्ष्य आधारित आयुष उपचारों के बारे में सहायक उपयोग को बढ़ावा देना और अनुसंधान सहयोग आरम्भ करना; और

• आयुष संस्थानों, कार्यालयों, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि में समावेशी कार्यस्थल नीतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर तपेदिक मुक्त कार्यस्थलों के विकास की सुविधा प्रदान करना।

राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) और आयुष मंत्रालय के बीच सहयोगात्मक पहल पर एक मार्गदर्शी दस्तावेज जारी किया गया है, जिसे भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समर्थन दिया गया है।

सभी आयुष चिकित्सा अधिकारियों को संभावित तपेदिक मामलों की सक्रिय रूप से जांच करने और निकटतम एनटीईपी नैदानिक स्वास्थ्य सुविधा को संदर्भित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। राज्य

सरकारों द्वारा तपेदिक के निदान और उपचार के लिए आयुष सुविधाओं को जोड़ने की सुविधा प्रदान की जा रही है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय टीबी प्रभाग द्वारा सेवारत आयुष चिकित्सकों और अनुसंधान अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय तपेदिक और श्वसन रोग संस्थान (एनआईटीआरडी), नई दिल्ली में 18.12.2023 से 21.12.2023 तक चार बैचों में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) आयोजित किया गया है।

*****